न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, गोपालगंज

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1167/2026

परिवाद वाद सं0–1716/2024

1. ईश्वरजी प्रसाद 2. कृष्णा प्रसाद 3. बीरबाबु उर्फ राजेन्द्र प्रसाद .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक के तरफ से श्री अब्बू शमीम अंसारी, विद्वान अधिवक्ता ।

बिहार सरकार के तरफ से अनिल कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक

10.07.2026

आवेदकगण 1. ईश्वरजी प्रसाद 2. कृष्णा प्रसाद 3. बीरबाबु उर्फ राजेन्द्र प्रसाद, जो परिवाद संख्या 1716/2024 अन्तर्गत धारा–316(2), 318(4) B.N.S के अभियुक्त हैं, के तरफ से अपने गिरफ्तारी होने की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण के इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और नहीं ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है, न खारिज किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण से परिवादी का जमीन का विवाद है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदिका के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

नालिस के अनुसार परिवादी का संक्षेप में कथन है कि वर्ष 2021 में सभी अभियुक्तगण परिवादी एवं उनके पार्टनर राजीव कुमार के पास आये और बताए कि हमे खाता नं–103, सर्वे नं–2094 रकबा 5 कट्ठा 5 धुर मौजा–सासामुसा, जिसमें पवन टॉकीज बना हुआ है, उसको बेचना है। परिवादी एवं उनके पार्टनर ने अभियुक्तों के बात पर विश्वास कर उनका प्रस्ताव स्वीकार किया तथा कुल 3,09,75,000/–रू (तीन करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार) रूपये में सौदा तय हुआ। जिसमें 30,00,000(तीस लाख) रूपया दिनांक–28.06.2021 को नगद तथा चेक से एडवान्स दिया गया तथा इसको बेचने का एग्रीमेंट बना जिसमें कुल बातें उल्लेखित है। एग्रीमेंट पर तय तिथि पर सभी लोगों का हस्ताक्षर नहीं हो पाया तथा अभियुक्त ईश्वर प्रसाद एवं बीर बाबू ने कहा कि हमलोग एग्रीमेंट के अनुसार पवन टॉकिज को तोड़वाकर एवं एग्रीमेंट पर सभी लोगों का हस्ताक्षर करवाकर देंगे उसके बाद समय सीमा लागू हो गया। इसी बीच ईश्वर प्रसाद ने अपने विगत पंचायत चुनाव में जो मुखिया पद के प्रत्यासी थे तीन किश्तों में 15 लाख रूपया लिया। इस प्रकार एडवांस के रूप में अभियुक्तों ने 45 लाख रूपया पा लिये लेकिन एग्रीमेंट पर बाकी लोगों का हस्ताक्षर एवं पवन टॉकिज को खाली कर नही दिया, और दौड़ाते रहे अन्तम में दिनांक–01.04.2024 को काफी निवेदन करने पर ईश्वर प्रसाद एवं अन्य ने कहा कि बाकी लोगों के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेवारी मेरी है, एग्रीमेंट आज से लागु हो जायेगा तथा अपना हस्ताक्षर बना दिया और परिवादी विश्वास कर गए। इसी बीच दिनांक–21.07.2024 को जब परिवादी और उसका पार्टनर अपने एग्रीमेंट वाले जमीन पर देखने गये तो पता चला कि ये लोग चुपचाप जमीन को खूद बेच रहे हैं। तथा परिवादी के द्वारा कराये गये बाउन्ड्री को अभियुक्त रजत प्रसाद ने तोड़ दिया है, वाजे रहे कि अभियुक्त बीरबाबू एवं रजत कुमार भी इस एग्रीमेंट में गवाह तथा साजिशकर्ता रहे हैं। इस बाबत पूछने पर सभी अभियुक्तगण मारपीट पर उतारू हो गये तथा गाली गलौज धक्का–मुक्की करने लगे इस प्रकार अभियुक्तों ने परिवादी को विश्वास में लेकर विश्वासघात एवं धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा करकर परिवादीगण का रूपया एवं जमीन जिसका एग्रीमेंट बनाये, को गबन कर गये हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमीन 3 करोड़ 9 लाख 75 हजार रूपये पर तय हुआ था जिसमें से 30

लाख रूपये दिनांक–28.06.2021 को नगद एवं चेक दोनों के माध्यम से दिया गया था। दिनांक–21.07.2021 को जब परिवादी और उसका पार्टनर अपने एग्रीमेंट वाले जमीन को देखने गये तो पता चला कि ये लोग चुपचाप जमीन को खुद बेच रहे हैं तथा परिवादी द्वारा कराये गये बाउंडरी को अभियुक्त तोड़ रहे हैं। इस संबंध में पूछने पर सभी अभियुक्त मारपीट एवं गाली–गलौज किये। परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी एवं अन्य जांच साक्षियों ने परिवाद का समर्थन किया है। जांच के दौरान भी परिवादी एवं साक्षियों ने एडवांस में पैसा देने के तथ्य का समर्थन किया है। अभिलेख के साथ बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न है।

इस प्रकार अत्यधिक रूपयों का गबन करना धारा–316(2), 318(4) B.N.S के अंतर्गत एक गंभीर प्रकृत्ति का अपराध प्रतित हो रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त 1. ईश्वरजी प्रसाद 2. कृष्णा प्रसाद 3. बीरबाबु उर्फ राजेन्द्र प्रसाद को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तीनों आवेदक अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन ***अस्वीकृत*** किया जाता है। मूल अभिलेख वापस संबंधित न्यायालय को भेजें एवं आदेश को CIS पर Upload करें।

लेखापित

विभा द्विवेदी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्
गोपालगंज।
दिनांक–10.07.2026